

विभाग के अन्तर्गत गठित निगम/निकाय

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि०

मलयानिल भवन, बुद्धा कॉलोनी, पटना – 800 001

इस निगम की स्थापना वर्ष 1978 बिहार एवं उड़ीसा सहकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के चतुर्दिक विकास के उद्देश्य से की गई है। निगम का कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में है और कार्यालय 36 जिलों में अवस्थित है।

इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को आय अर्जित करनेवाली परियोजनाओं हेतु रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान प्रदान करना एवं रोजगारोन्मुखी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कराना।

योजना का कार्यान्वयन : निगम द्वारा संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन से किया जाता है तथा जिला स्तर पर निधि का संचालन जिला कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है।

हिस्सा पूँजी : निगम की कुल प्राधिकृत हिस्सा पूँजी 10000.00 लाख रू० है जिसमें राज्यांश 51% तथा केन्द्रांश 49% है। अबतक पेडअप हिस्सा पूँजी कुल 3417.26 लाख रूपये है। जिसमें राज्यांश 2046.20 तथा केन्द्रांश 1371.06 लाख रूपये है।

निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है :-

अनुदान योजना : इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बैंकों के माध्यम से आर्थिक लाभदायक योजनाओं हेतु ऋण दिया जाता है। योजना लागत का 50% या अधिकतम 10,000/-रू० प्रति व्यक्ति अनुदान निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) दिल्ली की योजना :

- (i) **महिला समृद्धि योजना (MSY) :** इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 20000 रू० एवं अनुदान राशि 10000 रू० दिये जाने का प्रावधान है। ऋण राशि पर देय ब्याज दर 4% है तथा इसकी वसूली 36 बराबर किश्तों में की जानी है।
- (ii) **लघु ऋण योजना (Small Business) :** इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 40,000 रू० एवं अनुदान राशि 10000 रू० दिये जाने का प्रावधान है। ऋण राशि पर देय ब्याज दर 6% है तथा इसकी वसूली 60 बराबर किश्तों में की जानी है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) दिल्ली की योजना :

- (i) **महिला समृद्धि योजना (MSY) :** इस योजना के तहत सफाई कर्मचारी के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के

उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 20000 रु० एवं अनुदान राशि 10000 रु० दिये जाने का प्रावधान है। ऋण राशि पर देय ब्याज दर 4% है तथा इसकी वसूली 36 बराबर किश्तों में की जानी है।

- (ii) **महिला समृद्धि योजना (MSY)** : इस योजना के तहत सफाई कर्मचारी के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 40000 रु० एवं अनुदान राशि 10000 रु० दिये जाने का प्रावधान है। ऋण राशि पर देय ब्याज दर 5% है तथा इसकी वसूली 36 बराबर किश्तों में की जानी है।
- (iii) **माईक्रो क्रेडिट फाईनान्स (MCF)** : इस योजना के तहत सफाई कर्मचारी के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 20000 रु० एवं अनुदान राशि 10000 रु० दिये जाने का प्रावधान है। ऋण राशि पर देय ब्याज दर 5% है तथा इसकी वसूली 36 बराबर किश्तों में की जानी है।
- (iv) **माईक्रो क्रेडिट फाईनान्स (MCF)** : इस योजना के तहत सफाई कर्मचारी के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 40000 रु० एवं अनुदान राशि 10000 रु० दिये जाने का प्रावधान है। ऋण राशि पर देय ब्याज दर 5% है तथा इसकी वसूली 36 बराबर किश्तों में की जानी है।
- (v) **महिला अधिकारिता योजना (MAY)** : इस योजना के तहत सफाई कर्मचारी के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 60000 रु० एवं अनुदान राशि 10000 रु० दिये जाने का प्रावधान है एवं लाभार्थी अंशदान 5000 रुपये है, ऋण राशि पर देय ब्याज दर 5% है तथा इसकी वसूली 60 बराबर मासिक किश्तों में की जानी है।
- (vi) **टर्म लोन योजना (0.50 लाख रु० तक)** : इस योजना के तहत सफाई कर्मचारी के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 40000 रु० एवं अनुदान राशि 10000 रु० दिये जाने का प्रावधान है। ऋण राशि पर देय ब्याज दर 6% है तथा इसकी वसूली 60 बराबर मासिक किश्तों में की जानी है।
- (vii) **टर्म लोन योजना (1.00 लाख रु० तक)** : इस योजना के तहत सफाई कर्मचारी के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण राशि 77500 रु० मार्जिन मनी 7500 तथा अनुदान राशि 10000 रु० दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें लाभार्थी अंशदान 5000 रु० सम्मिलित है। साथ ही टर्मलोन (1.00 लाख रु०) तक में ऋण राशि 80000 रुपये मार्जिन मनी 5000 रुपये तथा अनुदान 10000 रुपये एवं लाभार्थी अंशदान 5000 रुपये है। ऋण राशि पर देय ब्याज दर 6% तथा मार्जिन मनी ऋण पर 4% है तथा इसकी वसूली 60 बराबर मासिक किश्तों में की जानी है।

वर्तमान स्थिति :-

2014-15 तक का आंतरिक अंकेक्षण हो गया है।

